वाद स. 287/12 निकूराम वs चन्दो देवी – निर्णय 12.11.18

12.11.18 • पत्रावली पेश हुई। अनुसार मरिकैन हाजिर। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। पूर्व में न्यायहित में कई अवसर दिए जा चुके है। प्रकरण काफी पुराना है। जवाब प्रार्थना पत्र order 7 Rule 11 C.P.C. बंद किया जाता है। वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद-हेतुक प्रकट नहीं होता है क्योंकि वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के किसी की ओनी के खातेदार नहीं है। वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई कब्जा-काश्त भी नहीं है, बिना कब्जे के कोई वाद चलने योग्य नहीं है, वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद Cause of action Arise नहीं करता तथा 57-58 सालों से हमारा कब्जा है तथा नियमानुसार आवंटन हुई आराजी है। आगे निवेदन किया कि वाद विधि द्वारा वर्जित है। क्योंकि आवंटन एंव खातेदारी के 57-58 साल तक बेदखली की कोई इस्तगासा नहीं की गई थी। किसी खातेदार की बेदखली मियाद 12 साल होती है। इसलिए वाद विधि द्वारा वर्जित है।

बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद-हेतुक प्रकट नहीं होता तथा वाद विधि द्वारा वर्जित है। अतः आदेश (7) नियम 11 (d) (3) CPC स्वीकार किया जाता है। फाइल पर निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। वाद वादी खारिज किया जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। Sd/-

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner